The Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Act, 1965

Act 19 of 1965

Keyword(s):
Cable Operator, Cable Service, Cable Television Network, Subscriber, Backer, Bet, Bookmarker, Entertainment, Interior Cinema, Betting, Payment for Admission, Race Club, Steward, Tax

Amendments appended: 21 of 1974, 20 of 1978, 24 of 1978

DOWNLOADED FROM
www.THEATREWORLD.in
PREMIER MAGAZINE ON GLOBAL CINEMA THEATRE & MULTIPLEX TECHNOLOGY

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

15/65.19
Copy

THE UTTAR PRADESH ENTERTAINMENTS AND BETTING TAX (AMENDMENT) ACT, 1965

(U. P. Act No. XIX of 1965)

[*Authoritative English *Text of the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Act,* 1965.]

AN
ACT

further to amend the U. P. Entertainments and Betting Tax Act, 1937 *for the purpose hereinafter appearing.* U. P. Act VIII of 1937.

It is hereby enacted in the Sixteenth Year of the Republic of India as follows :

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Act, 1965. Short title.

2. *For* sub-section (1) of section 3 of the U. P. Entertainments and Betting Tax Act, 1937, the following shall be substituted, namely— Amendment of section 3 of U. P. Act VIII of 1937.

"(1) There shall be levied and paid on all payments for admission to any entertainment a tax (hereinafter referred to as entertainment tax) at a rate not exceeding seventy-five per cent of the payment for admission as the Government may from time to time specify by notification in this behalf, and the tax shall be collected by the proprietor and be paid to the Government in the manner prescribed."

(*For Statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated September 27, 1965.

Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on September 22, 1965 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on September 28, 1965.

(Received the Assent of the Governor on October 7, 1965 under Article 200 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated October 8, 1965.

PSUP—A. P. 106 Genl (Leg)—1965. 1812+50.

Price Re.0.05

15/74-21

C/o-3

THE UTTAR PRADESH ENTERTAINMENTS AND BETTING TAX (AMENDMENT) ACT, 1974

(U. P. Act No. 21 of 1974)

[**Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Amod Tatha Pankar* (*Sanshodhan*) *Adhiniyam*, 1974]

AN

ACT

further to amend the United Provinces Entertainments and Betting Tax Act, 1937.

(राजकीय प्रकाशन)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Act, 1974. *Short title.*

2. In section 3 of the United Provinces Entertainments and Betting Tax Act, 1937, in sub-section (1), *for* the words "seventy-five per cent" and "cent per cent", the words "eighty per cent" and "one hundred and ten per cent" shall respectively be *substituted*. *Amendment of section 3 of U.P. Act VIII of* 1937.

---

*(For Statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated June 27, 1974.)

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on June 27, 1974 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on July 5, 1974.)

(Received the Assent of the Governor on July 18, 1974 under Article 200 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated July 22, 1974.)

Price 5 **Paise**

पी० एस० यू० पी०--यू० पी० 189 सा० (विधा०)--1620--1974--1827+50 S S (मे०)।

156340

IS 178.2014
Cap.2

उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1978

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1978)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 17 मई 1978 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 24 मई, 1978 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।)

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 28 मई, 1978 ई0 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 1–खंड (क) में दिनांक 29 मई, 1978 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

संयुक्त प्रान्त आमोद तथा पणकर अधिनियम, 1937 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 8 सन् 1937 की धारा 3 का संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त आमोद तथा पणकर अधिनियम, 1937 की धारा 3 में, उपधारा (1) में, शब्द "अस्सी प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "सौ प्रतिशत" रख दिये जायेंगे।

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 6 मई, 1978 ई0 के सरकारी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट, का भाग 3–खंड (क) देखिये)।

PRICE 10 PAISE

पी0 एस0 यू0 पी0–ए0 पी0 98 सा0 (विधा0)—15-7-78—(1181)—1978—1,834+50S. S, (मेक0)।

159595

18/78 24A
Cop 2

विधान पुस्तकालय
(राजकीय प्रकाशन)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1978

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1978)

उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 24 अगस्त, 1978 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 8 सितम्बर, 1978 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 16 सितम्बर, 1978 ई0 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 1 खंड (क) में दिनांक 18 सितम्बर, 1978 ई0 को प्रकाशित हुआ।

संयुक्त प्रान्त आमोद तथा पणकर अधिनियम, 1937 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 31 जुलाई, 1978 को प्रवृत्त समझा जायगा।

Price 10 paise

उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 24 अगस्त, 1978 ई0 का सरकारी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट का भाग 3-खण्ड (क) देखिये।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 8, सन् 1937 की धारा 3 का संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त आमोद तथा पणकर अधिनियम, 1937 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (1) और (1—क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं और स्पष्टीकरण रख दिये जायेंगे, अर्थात्:—

"(1) किसी आमोद के सभी प्रवेश शुल्कों पर एक कर (जिसे आगे आमोद कर कहा गया है) ऐसी दर से लगाया जायगा और उसका भुगतान किया जायेगा जो प्रत्येक ऐसे शुल्क के एक सौ दस प्रतिशत से अधिक न होगी और जिसे सरकार समय-समय पर विज्ञापित करे और वह कर मालिक द्वारा वसूल किया जायेगा और उसका भुगतान सरकार को नियत रीति से किया जायेगा।

(1—क) किसी आमोद के सभी प्रवेश शुल्कों पर ऐसी दर से अधिभार भी लगाया जायगा और उसका भुगतान किया जायेगा जो प्रत्येक ऐसे शुल्क के लिए पचास पैसे से अधिक न होगी और जिसे सरकार समय-समय पर विज्ञापित करे, और इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त ऐसा अधिभार आमोद-कर का अंश समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण—उपधारा (1) और (1—क) की कोई बात सरकार को आमोद के भिन्न-भिन्न वर्गों के लिए आमोद-कर और अधिभार की भिन्न-भिन्न दरें विज्ञापित करने से प्रवारित नहीं करेगी।

(1—ख) जहां किसी आमोद में प्रवेश के लिए शुल्क तथा कर (अधिभार सहित, यदि कोई हो) का योग पच्चीस पैसे का गुणक न हो वहां, उपधारा (1) में या उसके अधीन जारी की गयी किसी अधिसूचना में किसी बात के होते हुए भी, कर में ऐसी सीमा तक वृद्धि कर दी जायगी और उसकी गणना इस प्रकार से की जायगी कि आमोद में प्रवेश के लिए शुल्क तथा कर (अधिभार सहित) का कुल योग पच्चीस पैसे का अगला उच्चतर गुणक हो जाय और ऐसा बढ़ा हुआ कर भी मालिक द्वारा वसूल किया जायगा और उसका भुगतान सरकार को नियत रीति से किया जायगा।"

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16, सन् 1978

3—(1) उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 1978 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समयों पर प्रवृत्त थे।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 356 सा० (विधा०)—15-1-79—(3455)—1979—1834+50 (मेक०)।